नईदुनिया

संपादकीय

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मुख्यमंत्री की मंशा पर नौकरशाही का ग्रहण

16 साल पुराने मामलों में भी कछुआ चाल, आरोपी आज भी आजाद

मध्यप्रदेश *में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगातार हर मंच से दोहराते रहे हैं। उनकी मंशा स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचे। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश करती है। लोकायुक्त और अदालतों के नोटिसों के बावजूद कई आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और कार्रवाई वर्षों से लंबित है। स्थिति यह है कि 16 वर्ष पुराने भ्रष्टाचार के मामले भी आज तक अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान कई आरोपी अधिकारी और कर्मचारी सेवानिवृत्त होकर पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब शीर्ष स्तर पर इच्छाशक्ति मौजूद है, तो व्यवस्था में इतनी सुस्ती क्यों है।*

भ्रष्टाचार के मामलों में जांच की धीमी गति व्यवस्था की गंभीर कमजोरी को उजागर करती है। कई मामलों में वर्षों बाद भी आरोप-पत्र प्रस्तुत नहीं हो पाया है, जबकि अभियोजन की अनुमति भी लंबे समय तक लंबित रहती है। मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और भ्रष्टाचारियों को कड़ा संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह संदेश निचले स्तर तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। फाइलें एक मेज से दूसरी मेज तक घूमती रहती हैं और आरोपी खुलेआम घूमते रहते हैं।

सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि लोकायुक्त और अदालत के नोटिसों का भी अपेक्षित प्रभाव दिखाई नहीं देता। कई मामलों में बीमारी, स्थगन और अन्य प्रक्रियागत कारणों से सुनवाई टलती रहती है। परिणामस्वरूप न्याय में लगातार देरी होती है। यदि किसी अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होने के बाद भी वह बिना किसी ठोस कार्रवाई के सेवानिवृत्त होकर पेंशन प्राप्त करता रहे, तो यह व्यवस्था की प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। जांच में देरी केवल न्याय में देरी नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के प्रति गलत संदेश भी है।

इस स्थिति से सबसे अधिक नुकसान शासन की विश्वसनीयता को होता है। जब छोटा कर्मचारी देखता है कि बड़े अधिकारी पर वर्षों तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होती, तो व्यवस्था के प्रति उसका विश्वास भी कमजोर पड़ता है। आम जनता भी यही देखती है कि भ्रष्टाचार के आरोपी अब भी कानून की पकड़ से बाहर हैं। इससे सरकार की छवि और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान दोनों प्रभावित होते हैं।

अब आवश्यकता केवल समीक्षा बैठकों की नहीं, बल्कि समयबद्ध और जवाबदेह व्यवस्था की है। लंबित मामलों की नियमित समीक्षा हो, जांच और अभियोजन की प्रक्रिया तय समय-सीमा में पूरी की जाए तथा अनावश्यक विलंब के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केवल ईमानदार नेतृत्व से नहीं, बल्कि प्रभावी और उत्तरदायी प्रशासनिक तंत्र से जीती जा सकती है। जनता अब घोषणाओं से अधिक परिणाम देखना चाहती है और यही किसी भी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान की वास्तविक कसौटी होगी।

आजकल

बारूद के ढेर पर बैठे कोचिंग सेंटर

राजधानी में शिक्षा के नाम पर विद्यार्थियों की सुरक्षा से किया जा रहा समझौता बेहद चिंताजनक है। हालिया पड़ताल में सामने आया है कि शहर के लगभग 800 कोचिंग संस्थानों और छात्रावासों में गंभीर सुरक्षा खामियां हैं। कहीं अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं है, कहीं आपातकालीन निकास बंद हैं, तो कहीं जर्जर बिजली व्यवस्था और अव्यवस्थित भवन किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। इसके बावजूद कार्रवाई सीमित नोटिसों तक सिमटी हुई दिखाई देती है।

सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि यदि इतनी बड़ी संख्या में संस्थानों में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया गया है, तो कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? विद्यार्थियों और अभिभावकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस और अग्निशमन विभाग सभी की स्पष्ट भूमिका है, लेकिन यदि निरीक्षण के बाद भी खामियां जस की तस बनी रहती हैं, तो पूरी व्यवस्था की जवाबदेही तय होना स्वाभाविक है।

देश पहले भी ऐसे दर्दनाक हादसे देख चुका है, जिनमें सुरक्षा नियमों की अनदेखी ने कई मासूम जिंदगियां छीन लीं। इसलिए यह आवश्यक है कि किसी दुर्घटना का इंतजार करने के बजाय तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। जिन भवनों में गंभीर खतरे हैं, उन्हें नियमों के अनुरूप सुरक्षित होने तक संचालित नहीं होने दिया जाना चाहिए। नियमित सुरक्षा ऑडिट, अग्निशमन व्यवस्था की अनिवार्य जांच, छात्रावासों का सत्यापन और कार्रवाई की सार्वजनिक समीक्षा समय की मांग है।

हर वर्ष हजारों विद्यार्थी बेहतर भविष्य के सपने लेकर राजधानी आते हैं। उनकी सुरक्षा केवल कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है। यदि प्रशासन समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं करता, तो भविष्य में होने वाली किसी भी बड़ी दुर्घटना की जिम्मेदारी केवल लापरवाह संचालकों की ही नहीं, बल्कि उन विभागों की भी मानी जाएगी जिन्होंने चेतावनी के बावजूद समय पर कदम नहीं उठाए।

आपातकाल का अध्यायः आपातकाल और उसके घातक परिणामों को समझना जरूरी

लोकतंत्र की रक्षा के लिए इतिहास से सीखना होगा

भारत के इतिहास में 1975 से 1977 तक का समय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। यह वह दौर था, जब देश में मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए गए थे, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया था, चुनाव टाल दिए गए थे और संविधान में कई बदलाव किए गए थे। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना को बच्चों की पाठ्यपुस्तकों में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। नई पीढ़ी को आपातकाल के कारणों, उसके दौरान हुई घटनाओं और उसके घातक परिणामों की जानकारी देना आवश्यक है, ताकि वे लोकतंत्र की कीमत समझ सकें और भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति से बच सकें।

पाठ्यक्रम में आपातकाल को शामिल करने का निर्णय शिक्षा नीति के तहत लिया गया है। इसका उद्देश्य केवल इतिहास बताना नहीं, बल्कि बच्चों को यह समझाना भी है कि लोकतंत्र कितना नाजुक होता है और उसकी रक्षा के लिए नागरिकों को कितना सतर्क रहना पड़ता है। जब तक बच्चों को यह नहीं बताया जाएगा कि सत्ता के दुरुपयोग से देश कितना नुकसान झेल सकता है, तब तक वे जिम्मेदार नागरिक नहीं बन पाएंगे। किताबों में यह बताया जाएगा कि आपातकाल के दौरान कैसे मौलिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस की आजादी पर पाबंदी लगी, लाखों लोगों को बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया गया और जबरन नसबंदी जैसे अभियान चलाए गए। इन सबके पीछे के कारण भी समझाए जाएंगे, ताकि बच्चे सत्ता के संतुलन, न्यायपालिका और मीडिया की स्वतंत्रता का महत्व जान सकें।

आपातकाल के घातक परिणाम केवल राजनीतिक नहीं थे, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी गहरे असर छोड़ गए। प्रेस पर सेंसरशिप लगने से लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंच पाई। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल देने से लोकतांत्रिक बहस समाप्त हो गई। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कमजोर पड़ गई और प्रशासन में भय का माहौल बन गया। जबरन नसबंदी अभियान के कारण लाखों परिवारों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहनी पड़ी। गांवों

में अविश्वास और भय का वातावरण बन गया। चुनाव टाल देने से जनता की आवाज दब गई और सत्ता के प्रति जवाबदेही समाप्त हो गई। इन सभी घटनाओं को पाठ्यपुस्तकों में तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि बच्चे समझ सकें कि संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की अनदेखी करने पर समाज को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।

बच्चों को यह भी बताया जाएगा कि आपातकाल के बाद देश ने लोकतंत्र को कैसे पुनः स्थापित किया। 1977 में हुए चुनावों में जनता ने आपातकाल के खिलाफ मतदान किया और लोकतंत्र की वापसी हुई। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि जनता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। यदि नागरिक जागरूक रहें और अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें, तो कोई भी सत्ता मनमानी नहीं कर सकती। पाठ्यपुस्तकों में यह संदेश स्पष्ट रूप से दिया जाएगा कि लोकतंत्र केवल सरकार का नाम नहीं, बल्कि जनता की भागीदारी का नाम है। इसलिए बच्चों को बचपन से ही अपने अधिकारों और कर्तव्यों, दोनों की जानकारी होनी चाहिए।

इतिहास पढ़ाने का उद्देश्य अतीत को दोहराना नहीं, बल्कि उससे सीख लेना है। जब बच्चे आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे, तो वे समझेंगे कि संविधान की रक्षा कितनी जरूरी है। वे यह भी जानेंगे कि मीडिया की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी और न्यायपालिका की निष्पक्षता के बिना लोकतंत्र खोखला हो जाता है। स्कूलों में शिक्षकों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे इस संवेदनशील विषय को बिना किसी पूर्वाग्रह के बच्चों को समझा सकें। शिक्षक बच्चों से चर्चा करेंगे कि आज के समय में सोशल मीडिया और सूचना के युग में अफवाह तथा सेंसरशिप के बीच अंतर कैसे समझा जाए, ताकि नई पीढ़ी डिजिटल युग में भी लोकतंत्र की रक्षा कर सके।

कुछ लोगों का तर्क हो सकता है कि बच्चों को इतनी गंभीर और दुखद घटना क्यों पढ़ाई जाए, पर शिक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि सच्चाई छिपाने से समाज मजबूत नहीं, बल्कि कमजोर होता है। जर्मनी में बच्चों को होलोकॉस्ट के बारे में पढ़ाया जाता है और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का इतिहास पढ़ाया जाता है, ताकि नई पीढ़ी नफरत और सत्ता के दुरुपयोग से दूर रहे। ठीक उसी तरह भारत में बच्चों को आपातकाल के बारे में पढ़ाने से वे भविष्य में किसी भी प्रकार की तानाशाही प्रवृत्ति को पहचान सकेंगे और उसका विरोध कर सकेंगे। इतिहास से मुंह मोड़ने से घाव नहीं भरते, बल्कि और गहरे हो जाते हैं। इसलिए सच्चाई को साहस के साथ स्वीकार करना ही एक सशक्त समाज की पहचान है।

पाठ्यपुस्तकों में आपातकाल के अध्याय को सरल भाषा में रखा जाएगा, ताकि कक्षा छह, सात और आठ के बच्चे भी उसे आसानी से समझ सकें। कहानियों, चित्रों और समय-रेखा के माध्यम से घटनाओं को प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि रटने की बजाय समझ विकसित हो। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि यदि आज के समय में मौलिक अधिकार छीन लिए जाएं, तो क्या होगा? यदि प्रेस पर पाबंदी लग जाए, तो सच्चाई कैसे पता चलेगी? यदि चुनाव न हों, तो जनता अपनी राय कैसे व्यक्त करेगी? इस प्रकार की चर्चा से बच्चों में तार्किक सोच और नागरिक चेतना विकसित होगी।

आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक काला अध्याय है, लेकिन इसी काले अध्याय से हमने सबसे बड़ी सीख ली कि सत्ता पर नियंत्रण रखना और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना कितना जरूरी है। अब जब यह अध्याय बच्चों की किताबों में जोड़ा जा रहा है, तो यह केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा का एक सशक्त माध्यम भी बन सकता है। नई पीढ़ी जब यह पढ़ेगी कि लोकतंत्र को बचाने के लिए लाखों लोगों ने संघर्ष किया था, तो वह अपने अधिकारों की कीमत समझेगी और किसी भी कीमत पर उन्हें छिनने नहीं देगी। क्योंकि जो कौम अपने इतिहास से सीखती है, वही आगे बढ़ती है और भारत की नई पीढ़ी इसी सीख के साथ एक मजबूत लोकतांत्रिक भारत का निर्माण करेगी।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एआई आधारित शिक्षा की नई पहल

25 हजार शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण, 90 जिलों में फैलेगा डिजिटल शिक्षा अभियान

मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और छात्रों को 21वीं सदी के कौशल से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस योजना का नाम 'एआई आधारित शिक्षा' है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डिजिटल तकनीक के उपयोग के लिए प्रशिक्षित करना है। विभाग के अनुसार, पहले चरण में 25 हजार शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण 90 जिलों में एक साथ शुरू होगा, जिससे प्रदेश के हर क्षेत्र के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा।

पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक ने क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। परंपरागत चॉक और ब्लैकबोर्ड का स्थान अब स्मार्ट क्लास, डिजिटल कंटेंट और इंटरएक्टिव लर्निंग ने ले लिया है। ऐसे समय में यदि सरकारी स्कूलों के शिक्षक तकनीक से दूर रहेंगे, तो छात्र निजी स्कूलों की तुलना में पीछे रह जाएंगे। इसी सोच के साथ एआई आधारित शिक्षा कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को बताया जाएगा कि कक्षा में एआई टूल्स का उपयोग कैसे करें, छात्रों की समझ के अनुसार पाठ को सरल और रोचक कैसे बनाएं तथा कमजोर विद्यार्थियों की पहचान कर उनके लिए विशेष शिक्षण योजना कैसे तैयार करें।

प्रशिक्षण का पहला चरण 25 जून को भोपाल में आयोजित किया गया। इसमें भोपाल के 90 शिक्षकों को एआई शोकेस स्कूल में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद अनूपपुर, छिंदवाड़ा और अन्य जिलों में भी प्रशिक्षण की शुरुआत हो चुकी है। योजना यह है कि प्रत्येक जिले से चयनित शिक्षक अपने साथी शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करेंगे, ताकि ज्ञान का विस्तार तेजी से हो सके। विभाग ने माइक्रोसॉफ्ट और अन्य तकनीकी कंपनियों को सहयोगी बनाया है, जो शिक्षकों को डिजिटल कंटेंट तैयार करने, प्रस्तुतीकरण बनाने और ऑनलाइन संसाधनों के उपयोग की

जानकारी देंगे।

एआई आधारित शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब शिक्षक केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेंगे। वे एआई की मदद से प्रत्येक छात्र की सीखने की गति को समझ सकेंगे। यदि कोई छात्र गणित के किसी प्रश्न में बार-बार गलती कर रहा है, तो एआई सिस्टम शिक्षक को तुरंत संकेत देगा और वैकल्पिक तरीके से समझाने का सुझाव भी देगा। इसी प्रकार भाषा, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में भी एआई कहानी, चित्र और वीडियो के माध्यम से अवधारणाओं को स्पष्ट करेगा, जिससे छात्रों की रुचि बढ़ेगी और रटने की प्रवृत्ति घटेगी।

डिजिटल शिक्षा को लेकर लंबे समय से यह शिकायत रही है कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों में संसाधनों का अभाव है। इस नई पहल में विभाग ने इस समस्या के समाधान पर भी ध्यान दिया है। प्रत्येक जिले में एक एआई शोकेस स्कूल स्थापित किया जाएगा, जहां शिक्षक और छात्र मिलकर नई तकनीक का अभ्यास करेंगे। इन स्कूलों में टैबलेट, प्रोजेक्टर और इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा शिक्षकों को 36 घंटे का प्रमाणित व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिसमें 21वीं सदी के कौशल, डिजिटल साक्षरता, डेटा सुरक्षा और ऑनलाइन कक्षा संचालन जैसे विषय शामिल होंगे।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस योजना को सही तरीके से लागू किया गया, तो सरकारी स्कूलों की छवि पूरी तरह बदल सकती है। अभी भी कई अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने से हिचकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां पढ़ाई का स्तर कमजोर है। लेकिन जब शिक्षक एआई की मदद से विज्ञान और गणित को रोचक ढंग से पढ़ाएंगे तथा वीडियो और एनिमेशन के माध्यम से इतिहास और भूगोल जैसे विषयों को समझाएंगे, तो छात्र स्वाभाविक रूप से स्कूल की ओर आकर्षित होंगे और ड्रॉपआउट की दर भी घटेगी।

इस योजना की सफलता के लिए शिक्षकों का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। कई शिक्षक पहले से ही डिजिटल उपकरणों के उपयोग में दक्ष हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे भी शिक्षक हैं, जिन्हें कंप्यूटर चलाने में कठिनाई होती है। उनके लिए विभाग ने सरल भाषा में प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए हैं। साथ ही हेल्पलाइन और मास्टर ट्रेनर की व्यवस्था भी की गई है, ताकि कोई भी शिक्षक बीच में अटकने पर तुरंत सहायता प्राप्त कर सके। विभाग का लक्ष्य है कि अगले तीन वर्षों के भीतर प्रदेश के सभी सरकारी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में एआई आधारित शिक्षण को सामान्य बनाया जाए।

चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली की उपलब्धता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई स्कूल ऐसे हैं, जहां नेटवर्क कमजोर है या बिजली की आपूर्ति नियमित नहीं रहती। इन समस्याओं को दूर करने के लिए विभाग ने सौर ऊर्जा आधारित बैकअप और ऑफलाइन कंटेंट की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। दूसरा प्रश्न लागत का है। 25 हजार शिक्षकों को प्रशिक्षित करना और 90 जिलों में तकनीकी बुनियादी ढांचा तैयार करना एक बड़ा निवेश है, लेकिन शिक्षा में किया गया निवेश भविष्य में कई गुना लाभ देता है। इसलिए इसे खर्च नहीं, बल्कि निवेश माना जाना चाहिए।

समाज की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब अभिभावक यह समझेंगे कि एआई का अर्थ बच्चों को मशीन बनाना नहीं, बल्कि उन्हें रचनात्मक और तार्किक रूप से सोचने योग्य बनाना है, तो वे इस बदलाव का समर्थन करेंगे। गांवों की पंचायतें, स्कूल प्रबंधन समितियां और स्वयंसेवी संगठन यदि इस अभियान को अपनाएंगे, तो तकनीक स्कूल की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाएगी।

मध्य प्रदेश सरकार की यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत है। एआई आधारित शिक्षा केवल तकनीक का प्रदर्शन नहीं, बल्कि इस बात की स्वीकारोक्ति है कि आने वाला समय ज्ञान और कौशल का होगा और जो बच्चे आज स्कूल में हैं, वही कल देश की प्रगति का आधार बनेंगे। 25 हजार शिक्षकों का प्रशिक्षण और 90 जिलों में इसका विस्तार एक बड़ा कदम है। यदि इसे निरंतरता और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया गया, तो सरकारी स्कूल न केवल प्रतिस्पर्धा में टिकेंगे, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में नए मानक भी स्थापित करेंगे। क्योंकि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि ऐसे नागरिक तैयार करना है, जो सोच सकें, समझ सकें और देश को आगे ले जा सकें।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

84 महादेव दर्शन यात्रा

जब भगवान शिव ने श्रीगणेश को सौंपा उज्जयिनी में शिवलिंग स्थापना का दिव्य दायित्व

श्रीगणेश ने ब्राह्मण रूप धारण कर किया लोककल्याण, फिर प्रकट हुए शिवेश्वर महादेव

डॉ. नवीन आनंद जोशी

उज्जैन की चौरासी महादेव यात्रा में 37वाँ स्थान श्री शिवेश्वर महादेव का है। महाकाल वन क्षेत्र में स्थित यह प्राचीन एवं पूजनीय शिवलिंग श्रद्धालुओं की विशेष आस्था का केंद्र है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार इस शिवलिंग की स्थापना भगवान शिव के आदेश से गणेशजी द्वारा कराई गई थी, इसलिए इसका नाम 'शिवेश्वर' पड़ा।

प्राचीन काल में महाकाल वन क्षेत्र में रिपुंजय नामक एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्रवत् पालन करते थे तथा भगवान विष्णु की भक्ति में सदैव लीन रहते थे। उनके शासन में प्रजा सुखी, समृद्ध और निःशंक थी। राजा के तेज, धर्म और यश का प्रभाव इतना व्यापक था कि सम्पूर्ण राज्य उनके गुणों का ही गुणगान करता था।उसी समय भगवान शिव ने विचार किया कि महाकाल वन में उनके अनेक स्वरूप प्रतिष्ठित हैं, किंतु

इस क्षेत्र में एक विशेष शिवलिंग की स्थापना अभी शेष है। तब उन्होंने अपने प्रिय गण श्री गणेश जी को आदेश दिया कि वे उज्जयिनी में जाकर शिवतत्त्व का प्रचार करें और उचित अवसर आने पर वहां दिव्य शिवलिंग की स्थापना करें। भगवान की आज्ञा पाकर शिवगण गणेश जी ब्राह्मण का रूप धारण कर उज्जयिनी में रहने लगा। वह अपने ज्ञान, तप और औषधि-विज्ञान से लोगों के कष्ट दूर करने लगा। रोगी उसके उपचार से स्वस्थ होने लगे और संतानहीन दंपतियों को भी उसकी कृपा से संतान-सुख प्राप्त होने लगा। धीरे-धीरे उसकी ख्याति पूरे नगर में फैल गई।उस समय राजा रिपुंजय की प्रिय रानी बहुला देवी संतान-सुख से वंचित थीं। रानी की एक सखी ने उस दिव्य ब्राह्मण के विषय में सुनकर उससे प्रार्थना की कि वह राजमहल चलकर रानी को आशीर्वाद प्रदान करे। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वह बिना राजा की आज्ञा के राजमहल में प्रवेश नहीं करेगा।तब रानी ने स्वयं अस्वस्थ होने का बहाना बनाया और राजा रिपुंजय के साथ उस ब्राह्मण के दर्शन हेतु पहुँचीं। जैसे ही राजा और रानी ने श्रद्धापूर्वक उस ब्राह्मण के दर्शन किए, वह तत्काल दिव्य शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गया। यह अद्भुत दृश्य देखकर राजा और रानी विस्मित रह गए तथा उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से उस शिवलिंग का पूजन किया।उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले 'हे राजन! तुम्हारे यहाँ एक तेजस्वी, धर्मात्मा और यशस्वी संतान का जन्म होगा, जो आगे चलकर महान सम्राट बनेगा।' भगवान शिव के वरदान से राजा रिपुंजय की मनोकामना पूर्ण हुई। चूँकि भगवान के गण ने ही शिवलिंग रूप धारण किया था, इसलिए यह दिव्य शिवलिंग 'श्री शिवेश्वर महादेव' के नाम से विख्यात हुआ।

यात्रा निरंतर...